कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

E-Mail : dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/स्टोर/2026/ 650   बैतूल, दिनांक 15/05/2026

प्रति,

उप संचालक {विज्ञापन},
जनसंपर्क संचालनालय,
जनसंपर्क परिसर,
बाणगंगा, भोपाल (म.प्र.)

विषय :– विज्ञप्ति का प्रकाशन ।

– 0 –

उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल के अंतर्गत निर्माण कार्यो के लिये सामग्री क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। कृपया पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रदेश/स्थानीय स्तर समाचार पत्रों में दिनांक **19/05/2026** के पूर्व कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(नवीन गर्ग)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

पृ.क्रमांक/स्टोर/2026/ 651   बैतूल, दिनांक 15/05/2026

प्रतिलिपि :–

1. वनसंरक्षक, वन वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. वनमंडलाधिकारी, दक्षिण बैतूल (सा.)/पश्चिम बैतूल (सा.)/उत्पादन वनमंडल, बैतूल, संचालक, वन विद्यालय, बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त उपवनमंडलाधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

खंड–I

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय – उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल, जिला – बैतूल, मध्यप्रदेश

ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 650/ई–टेंडरिंग/2026-27 दिनांक 15/05/2026

1. वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल द्वारा म.प्र. भंडार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित–2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का विवरण	स्पेसिफिकेशन	सत्यांकार निधि	निविदा दस्तावेजो का मूल्य
1	पौधा	प्रजाति – अनुलग्नक 06 अनुसार पालिथीन पैकेट – न्यूनतम 15X25 CM ऊंचाई – 01 मीटर अवधि – 02 वर्ष	49200/-	500/-

1. निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई –प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते है।
2. इच्छुक निविदाकार क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/कैश कार्ड/इंटरनेट बैकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक **19/05/2026** शाम **05.00** बजे से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते है।
3. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लेखित निविदा प्रकिया तिथियां लागू होगी।
4. ई–निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों में नही ।
5. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल : https://www.mptenders.gov.in/

वनमंडलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

कार्यालय, वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सामान्य) वनमंडल, बैतूल, (म.प्र.)

वर्ष 2026–27 सामग्री प्रदाय हेतु
निविदा शर्ते

भाग – 1

1. निविदा प्रपत्र म.प्र. शासन की वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in/ से डाउनलोड करें।
2. यह निविदा वित्तीय वर्ष **2026-27** हेतु उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल, बैतूल, (म.प्र.) अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित की जा रही है।
3. सामग्री क्रय हेतु निविदा को निर्धारित प्रारूप में वेबसाईट **https://www.mptenders.gov.in/** पर ऑन–लाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है।
4. निविदा ऑनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	विवरण	दिनांक	समय
1.	Published Date	19/05/2026	05.00 PM
2.	Document Sale Start Date	19/05/2026	05.10 PM
3.	Bid Submission Start Date	19/05/2026	05.15 PM
4.	Pre-Bid Meeting	26/05/2026	12.00 PM
5.	Bid Submission End Date	01/06/2026	12.00 PM
6.	Bid Opening Date	02/06/2026	12.00 PM

5. **प्रक्रिया–1** निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये **500/–** (शब्दो में:– पांच सौ रूपये मात्र) है तथा सत्यांकर की राशि रूपये **49,200/–** (शब्दो में:– उनचास हजार दो सौ रूपये मात्र) है, जिसे ऑन लाईन जमा किया जाना है। जमा की दोनो रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं सत्यांकर की राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को प्रक्रिया–2 के लिए योग्य माना जावेगा। जमा की गई ऑनलाईन सत्यांकर की राशि निविदा उपरांत निविदाकार को वापस कर दी जावेगी। चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रू. **500/-** के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध कर सामग्री की सत्यंकार की राशि सामग्री के लिये भाग–2 में दर्शित तालिका अनुसार राशि रू. **49,200/–** (शब्दो में:– उनचास हजार दो सौ रूपये मात्र) का एफ.डी.आर. वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल सामान्य वनमंडल, बैतूल के पक्ष में जारी कराकर जमा कराना होगा। अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। वनमंडल कार्यालय, उत्तर बैतूल में जमा सत्यांकर की राशि निविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत निविदाकार को वापस कर दी जावेगी।
6. **प्रक्रिया–2** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया–1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मो की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग–2 में दर्शित दस्तावेज पर फम की सील अंकित कर एवं हस्ताक्षरित कर दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने है। **अन्यथा की स्थिति में निविदा अमान्य की जावेगी।**
7. **प्रक्रिया–3** तत्पश्चात उपरोक्त प्रक्रिया–2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मो की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में भाग–3 में दर्शित दस्तावेज पर फर्म की सील अंकित कर एवं हस्ताक्षरित कर दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाने है। **अन्यथा की स्थिति में निविदा अमान्य की जावेगी।** वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

(नवीन गर्ग)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी,
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

भाग – 2

तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्त

1. पिछले 03 एसेसमेंन्ट वर्ष (2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) का इनकम टेक्स रिटर्न (ITR) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

2. पिछले 02 वर्ष (2023-24 एवं 2024-25) के जी.एस.टी. रिटर्न की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिये। इस बाबत् निविदाकर्ता फर्म को निविदा में संलग्न अनुलग्नक–1 अनुसार मूल शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रूपये 100/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। संलग्न अनुलग्नक से भिन्नता होने की स्थिति में निविदा अमान्य की जावेगी।

4. पिछले 03 वित्तीय वर्षो का चार्टर्ड एकउंटेंट प्रमाणित टर्न ओव्हर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विगत 03 वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ओव्हर अनुमानित निविदा मूल्य के दो गुणे से कम नहीं होना चाहिये। यदि औसत टर्न ओव्हर से छूट चाही गई है, तो फर्म का "स्टार्टअप इंडिया प्रमाण पत्र" (यह प्रमाण पत्र निविदा में दी गई सामग्री के समान कैटेगिरी का हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5. फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

6. फर्म का एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र संलग्न करें। EMD से छूट तभी मान्य होगी, जब संलग्न प्रमाण पत्र निविदा सामग्री के समान केटेगरी का हो। साथ ही यदि निविदाकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो उसका एस.सी./एस.टी. प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण निविदा में संलग्न अनुलग्नक–2 अनुसार संलग्न करें। संलग्न अनुलग्नक से भिन्नता होने की स्थिति में निविदा अमान्य की जावेगी।

8. निविदाकार के पास किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पी.एस.यू./सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सफलतापूर्वक निष्पादित करने का समान कार्य का अनुभव पिछले 03 वित्तीय वर्षो के दौरान न्यूनतम किसी भी 01 वित्तीय वर्ष में निविदा की अनुमानित मात्रा के 25 प्रतिशत से कम नही होना चाहिए।

   यहां समान कार्य से तात्पर्य निविदा में दर्शित सामग्री से है। इनमें से किसी एक सामग्री का भी अनुभव है, तो मान्य किया जावेगा।

   उक्त शर्त के आधार पर अनुभव संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा। निविदाकारों को विगत 03 वर्षो में निविदा में दर्शित सामग्री के कार्य आदेश संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदाकार को सलाह दी जाती है कि निविदा में दर्शित सामग्री के ही कार्य आदेश संलग्न करें। संलग्न कार्य आदेशों के परीक्षण हेतु सभी निविदाकार निम्न प्रपत्र में जानकारी संलग्न करना सुनिश्चित करें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त शर्त की पूर्ति की पुष्टि प्रपत्र में अंकित जानकारी अनुसार ही की जावेगी। प्रपत्र में अंकित जानकारी के अलावा अन्य संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण नही किया जायेगा। प्रपत्र में अंकित जानकारी त्रुटि पूर्ण पाये जाने की स्थिति में निविदा मान्य नही की जावेगी।

प्रदायित सामग्री का विवरण

अ.क्र.	प्रदायित संस्था का नाम	सामग्री का नाम	मात्रा	कार्य आदेश क्रमांक एवं दिनांक	संलग्न कार्य आदेश का पेज क्र.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

9. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रूपये 500/– वापसी योग्य नहीं है।

10. निविदा किसी फर्म की ओर से दिये जाने की स्थिति में फर्म के प्रोपराईटर को निविदा दस्तावेजों में हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। प्रोपराईटर की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उक्त कार्य हेतु मुख्तार नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे हो तो अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति एवं फर्म के "इंडियन पार्टनरशिप एक्ट" के अंतर्गत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।

11. इस निविदा की सामग्री कम या ज्यादा करने का तथा किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।

12. निविदा खोलने के पूर्व वनमंडल कार्यालय, उत्तर बैतूल में दिनांक **26/05/2026** को समय **12.00 PM** से **12.30 PM** तक प्री–बिड मीटिंग का आयोजन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से निविदा में दर्शित शर्तो के संबंध में आयोजित की जावेगी। निविदाकार को सलाह दी जाती है कि प्री बिड मीटिंग में ऑनलाईन सम्मिलित होने के लिए बैठक के **01** दिवस पूर्व तक कार्यालय के ई–मेल **dfotnbetul@mp.gov.in** पर **Email** करना सुनिश्चित करें, ताकि बैठक पूर्व Online Link उपलब्ध की जा सकें। यदि निविदाकार प्री–बिड मीटिंग में उपस्थित होने हेतु सक्षम नहीं है, तो उनकी ओर से उक्त कार्य हेतु निविदाकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति की उपस्थिति को मान्य किया जावेगा, परन्तु उक्त व्यक्ति को निविदाकार की ओर से हस्ताक्षर किये गये अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. सभी निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–3) निविदाकार द्वारा भरा जाना होगा। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है। संलग्न अनुलग्नक से भिन्नता होने की स्थिति में निविदा अमान्य की जावेगी।

14. निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिये आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को ही वहन करना होगा।

15. संयुक्त उद्यम (ज्वांइट वेंचर)

यदि संयुक्त उद्यम् की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

(i) साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी:

क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा।

ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा।

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग– अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल निविदा के मामले में)।

ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए।

च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए , ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और

छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(iii) संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार / संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

(iv) संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।

(v) संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं क ो दर्शाता है।

(vi) संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें।

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

16. सामग्री का नाम एवं सामग्री का स्पेसिफिकेशन :—

क्र.	सामग्री का नाम एवं स्पेसिफिकेशन	इकाई	अनुमानित निविदा मूल्य	सत्यांकार निधि
1	पौधा प्रजाति – अनुलग्नक 06 अनुसार पालिथीन पैकेट – न्यूनतम 15X25 CM ऊंचाई – 01 मीटर अवधि – 02 वर्ष	नग में	16,40,000/-	49,200/-

17. मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित–2022) के भाग–1 वस्तुओं का उपार्जन के बिन्दु क्रमांक 23 अनुसार प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्टार्टअप को प्रथमिकता हेतु प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

18. यदि निविदा की शर्तो एवं दिनांक में यदि कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना वेबासाईट https://www.mptenders.gov.in/ एवं वन विभाग की वेब साईट https://mpforest.gov.in/ पर ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जावेगी।

भाग – 3

निविदा की अन्य शर्ते

1. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

2. निविदा में दी गई दरों की अवधि संपूर्ण वित्तीय वर्ष **2026-27** हेतु होगी। उक्त दरों की अवधि आगामी टेण्डर होने तक बढायी जा सकती है। परन्तु यह अवधि वर्ष **2026-27** के पश्चात् केवल 03 माह के लिये ही बढ़ायी जा सकती है।

3. चयनित निविदाकार को स्वीकृति आदेश के 07 दिवस में रूपये **500/–** के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर निष्पादन सुरक्षा राशि का बैंक एफ.डी.आर./ डिमांड ड्राफ्ट वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सामान्य) वनमंडल, बैतूल के पक्ष में जमा कराना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।

4. सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तो का पालन न करने की स्थिति में सफल निविदाकार का आदेश वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल, बैतूल, (म.प्र.) द्वारा निरस्त किया जा सकता है, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी, उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल, बैतूल, मध्यप्रदेश के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

5. सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करनी होगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके स्वयं के व्यय पर वापस मंगानी होगी। प्रत्येक सामग्री की सप्लाई पर कम से कम एक वर्ष की रिप्लेशमेंट गारंटी रहेगी।

6. उक्त सामग्री उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल, बैतूल के परिक्षेत्र बैतूल, शाहपुर, भौंरा, सारनी एवं रानीपुर के वन क्षेत्रों में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए आदेश अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी।

7. सामग्री प्रदाय हेतु ई–निविदा में दर्शित मात्रा पूर्णतः अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। मात्रा में परिवर्तन संबंधित कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। निविदा में दर्शित सामग्री क्रय करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

8. निविदा दरें कार्य स्थल तक परिवहन, लोडिंग–अनलोडिंग और स्टेकिंग व्यय सहित होगी।

9. भुगतान राशि से देय करों की कटौती की जावेगी।

10. निविदा में एक से अधिक निविदाकारों की सामग्री की न्यूनतम दरें समान होने की स्थिति में निविदाकारों की आपसी सहमति पर सामग्री की मात्रा विभाजित कर आदेशित किया जावेगा एवं निविदाकारों की आपसी सहमति न होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदाकार का चयन किया जावेगा।

11. न्यूनतम निविदा दरें तत्समय बाजार दर से अधिक पाये जाने की स्थिति में निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी। अतः सामग्री की दरें बाजार दर से अधिक न हो।

12. सामग्री की क्वालिटी एवं मात्रा का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी/मूल्यांकन समिति द्वारा किया जावेगा। सत्यापित मात्रा के अनुसार भुगतान होगा। यदि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र/ दस्तावेज या अन्य जानकारी मांगी जाती है, तो निविदाकार को तत्काल संबंधित सत्यापनकर्ता को प्रदाय करना होगा।

13. निविदाकार को उक्त सामग्री कार्य आदेश मिलने के **15** दिवस के अन्दर प्रदाय किया जाना होगा। प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावेगा, जिससे मापन में सुविधा हो। विलंब से सामग्री प्रदान करने की स्थिति में शर्त क्रमांक **14** अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

14. सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तो में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर निष्पादन सुरक्षा की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम 05 वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का राजनैतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जावेगा।

15. किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ जिस व्यक्ति के नाम से निविदा भरी जा रही है, उसके द्वारा हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया मुख्तारनामा जो 1000/— रू. के स्टाम्प पेपर पर मान्य होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

16. जो निविदा मान्य नहीं होगी, उसकी सत्यंकार राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।

17. स्वीकृत/ अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर की राशि पर किसी प्रकार ब्याज देय नहीं होगा।

18. दरें स्वीकृत होने पर **Specification** अनुसार बिल के साथ सामग्री प्रदाय किया जाना होगा।

19. सामग्री के क्रय आदेश आवश्यकतानुसार जारी किये जावेंगे, जिसमे सामग्री प्रदाय करने हेतु एफ.ओ. आर. स्थल दर्शाया जावेगा। प्रदायकर्ता को सामग्री एफ.ओ.आर. स्थल तक पहुँचा कर देना होगा।

20. स्वीकृत निविदाकार द्वारा सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नही की जाती है, तो निविदाकर्ता को अन्य निविदाकारों से **L-2, L-3** आदि के क्रम में निविदा दर पर सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी ।

21. ब्लैक स्टोन, क्रश्ड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में, सफल निविदाकार को प्रत्येक बिल/चालान के साथ रॉयल्टी रसीद प्रदान करनी होगी।

22. जहाँ भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (**Voids**) की कटौती की जाएगी।

23. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण **NABL** मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लेकलिस्ट किया जा सकता है।

24. यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) या निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

25. इस निविदा सूचना या जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

26. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार की व्याख्या (**Interpretation**) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल, बैतूल का निर्णय अंतिम होगा।

27. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल, बैतूल, (म.प्र.) का होगा।

28. समस्त विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र बैतूल रहेगा।

29. किसी भी विरोधाभाष की स्थिति में म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित–2022) के नियमों का पालन किया जावेगा।

30. निविदाकर्ता द्वारा सभी सबआईटम वार दरें समस्त कर एवं परिवहन सहित भरी जावेगी। किसी भी सबआईटम का दर शून्य अथवा नही भरने की स्थिति में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

31. निविदा में L1, L2, L3 का निर्धारण निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की अनुमानित संख्या के कुल मूल्य के आधार पर किया जावेगा। सामग्रियों की अनुमानित संख्या अनुलग्नक–6 में उल्लेखित है।

32. निविदाकर्ता द्वारा अनुमानित सामग्री के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार सामग्री प्राप्त की जा सकेगी, जिसका भुगतान निविदा के सब आईटमवार दरों के अनुसार किया जावेगा।

अनुलग्नक – 1

प्रारूप : स्वघोषणा – काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण–पत्र

रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है।

दिनांक ....

प्रति,

वनमंडल अधिकारी,

....

जिला – .... (म.प्र.)

महोदय / महोदया,

दिनांक .... के निविदा संदर्भ संख्या .... के प्रत्युत्तर में, घोषणा करते है कि वर्तमान में हमारी कंपनी / फर्म .... का रिकार्ड बेदाग है तथा उसके किसी भी राज्य / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये भ्रष्ट और धोखाधडीपूर्ण कार्यो के लिये अयोग्य घाषित नहीं किया गया है।

हम घोषणा करते है कि हमारी कंपनी / फर्म .... निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य / केन्द्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधडीपूर्ण व्यवहार के अलाव अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और ना ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी / हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जायेगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जायेगा।

निविदाकार का नाम :– ....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :– ....

संगठन की मुहर :–

दिनांक :–

स्थान :–

अनुलग्नक – 2

प्रारूप : निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1.	निविदाकार का नाम	:	....
2.	पिता का नाम	:	....
3.	स्थायी पता मकान क्रमांक	:	....
	गली क्रमांक	:	....
	स्थान	:	....
	जिला	:	....पिन कोड..............................
4.	कार्यालय का पता	:	....
	गली क्रमांक	:	....
	स्थान	:	....
	जिला	:	....पिन कोड..............................
5.	सत्यंकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण :– एफ.डी.आर./बैंक गारंटी/		
	संख्या	:	....
	राशि	:	....
	बैंक का नाम	:	....
6.	जी.एस.टी. नंबर	:	....
7.	मोबाईल नंबर	:	....
8.	ई–मेल आई.डी.	:	....

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पिता/पति..

घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तो नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 3

प्रारूप : सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम .... जानता हूँ/जानते है कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा .... वनमंडल का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम .. .. वनमंडल के अंदर किसी भी दिये गये स्थान पर आपूर्ति करने के लिये सहमत है।

मुझे/हमे क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मुझे/हम ने काम/ आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिये आवेदन करने से पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है और सभी कार्य स्थितियों को समझते है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 4

स्वीकृति पत्र क्रमांक

दिनांक ....

प्रति,

मेसर्स ....

....

....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय :–

प्रिय श्री, ...

उपर्युक्त कार्य के लिये आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सामग्री का नाम एवं विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रू.में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:–

क. रूपये .... (अंकों में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रूपये .... केवल शब्दों में)। निष्पादन सूरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी, जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी, ...के नाम प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक – 5

अनुबंध पत्र

अनुबंध

यह अनुबंध दिनांक .... को वनमंडल अधिकारी .... जिला (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जायेगा) और मेसर्स .... (निविदाकार का नाम एवं पता) जिसे आगे "निविदाकार" के बीच दूसरे पक्ष के लिये किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमंडल अधिकारी .... (म.प्र.) (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बारबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है :–

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तो में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जायेगा।

2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, निविदाकार अनुबंध में प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिये निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।

3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत् अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकार को भुगतान करने के लिये अनुबंध करता है।

4. निम्नलिखित दस्तावेजों को अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा आयेगा अर्थात्

   i. स्वीकृति पत्र
   ii. निविदाकारों को निर्देश
   iii. अनुलग्नक 1 से 3
   iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
   v. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है।

जिसके साक्ष में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया गया है।

सामान्य मुहर .... इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी।

उक्त .... द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त .... की उपस्थिति में।

वनमंडलाधिकारी,
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

अनुलग्नक – 6

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या
1	इमली	242
2	सप्तपर्णी	242
3	नीम	110
4	बरगद	264
5	पीपल	264
6	जामुन	146
7	सिरस	91
8	कालासिरस	91
9	आम	146
10	कटहल	124
11	अमलतास	207
12	बहेडा	223
13	करंज	113
14	आवला	320
15	कचनार	166
16	बेल	144
17	शहतूत	144
18	भिरिया	122
19	सीता अशोक	144
20	सीताफल	137
21	गुलहड	60
22	रातरानी	82
23	मधुकापर्णी	60
24	गुलमोहर	22
25	कूल्लू	22
26	हर्सिंगार	44
27	कदम	132
28	गुलाबी सिरस	22
29	नाग चम्पा	22
30	खिरनी	44
31	पुत्र जिवा	22
32	कुसुम	22
33	सागौन	22
34	हर्रा	132
35	पापड	22
36	साजा	22
37	बीजा	132
38	तींसा	132

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या
39	शिशु	132
40	अचार	44
41	धावडा	132
42	सलई	44
43	बेहडा	22
44	महुआ	132
45	मोयन	22
46	चम्पा	22
47	दूधी	22
48	करोंदा	22
49	मरोढ फल्ली	22
50	मकोई	22
51	धवई	22
52	चूरनी	22
53	समी	22
54	धतुरा	22
55	अकाव	22
56	माहुल	22
57	सागर गोटी	22
58	मालकांगनी	22
59	मधुकामनी	39
60	नागबेल	22
61	कलीहारी	22
62	गुडमार	22
63	केवाच	22
64	केवकंद	22
65	हल्दू	110
66	कलम	110
67	मोगरा	82
68	चांदनी	230
69	अमरूद	115
70	मीठा नीम	88
71	केसिया सामिया	88
72	संतरा	110
73	मौसंबी	55
74	जंगल जलेबी	88
75	गुल्हर	187
76	इंडिका बेल	55
77	टोनी कोस्टर बेल	55
78	रोकी बेल	55
79	वाटाकाका बेल	55

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या
80	हांथी सूंडी	66
81	टिकोमा	99
82	कनेर सभी रंगों में	236
83	एरीटीना	66
84	ब्रजदंती	66
85	वालरिफिया	33
86	स्वोक वीड	33
87	अश्वगंधा	17
88	पुनर्नवा	17
89	भृंगराज	17
90	भूमि आवंला	17
91	अनंतमूल	17
92	जटामासी	17
93	कैम	17
94	नागदोन	17
95	तुलसी	17
96	गिलोय	39
97	कालमेघ	17
98	अडूसा	17
99	अदरक	17
100	हल्दी	17
101	पुदीना	17
102	लेमन ग्रास	17
103	ऐलोवेरा	17
104	शंखपुष्पी	17
105	काजू	55
106	बदाम	55
107	चिकू	33
108	अनार	55
109	सेब	33
110	ब्राहमी	17
111	ओपंटिया (Opuntia)	22
112	गोल्डन बैरल	22
113	घृतकुमारी (Aloe vera)	22
114	ड्रैगन फ्रूट	22
115	पेंसिल कैक्टस	22
116	मेमिलारिया (Mammillaria)	22
117	यूफोरबिया मिली	22
118	साँप का पौधा (Sansevieria)	22
119	सेरेस (Cereus)	22
120	स्टार कैक्टस	22

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या
121	अर्जुन	17
122	मौलसरी (बकुल)	17
123	भिलवा	17
124	वासा	17
125	निरगुंडी	17
126	गुग्गुल	17
127	चित्रक	17
128	अपमार्ग	17
129	मंडुकपर्णी	17
130	वाचा	17
131	विदारी कंद	17
132	कर्पुरवल्ली	17
133	कासनी	17
134	कपूर	17
135	केवड़ा	17
136	कुलंजन	17
137	ईश्वरी (*Aristolochia indica*)	17
138	हडलोड	17
139	गोरखमुंडी	17
140	Bambusa balcooa	17
141	Bambusa bambos	17
142	Bambusa polymorpha	17
143	Bambusa tulda	17
144	Bambusa ventricosa	17
145	Bambusa wamin	17
146	Dendrocalamus asper	17
147	Dendrocalamus brandisii	17
148	Dendrocalamus longispathus	17
149	Dendrocalamus yunnanensis	17
150	Dinochloa andamanica	17
151	Gigantochloa atter	17
152	Gigantochloa rostrata	17
153	Guadua angustifolia	17
154	Ochlandra ebracteata	17
155	Oxytenanthera parvifolia	17
156	Phyllostachys aurea	17
157	Pseudoxytenanthera stocksii	17
158	Schizostachyum dullooa	17
159	Thyrsostachys oliveri	17
160	Bambusa affinis	16
161	Bambusa assamica	16

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या
162	B. bambos vargigantea	16
163	Bambusa burmanica	16
164	Bambusa jaintiana	16
165	Bambusa multiplex	16
166	B. multiplex alphonsekarr	16
167	Bambusa nutans	16
168	Bambusa pallida	16
169	Bambusa striata	16
170	Bambusa teres	17
171	Bambusa tulda varsrtiata	17
172	Bambusa vulgaris	17
173	Dendrocalamus giganteus	17
174	Dendrocalamus hamiltonii	17
175	Dendrocalamus sikkimensis	17
176	Gigantochloa albociliata	17
177	Gigantochloa macrostachya	17
178	Melocanna baccifera	17
179	Ochlandra travancorica	17
	Total	9290

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Wahane
Date: 2026.05.19 14:37:50 IST
Location: Madhya Pradesh-MP